3. **अपूरणीय क्षतिः-** प्रथम दोनों बिंदू सायल के पक्ष में साबित हुए है। साथ ही गैरसायलान द्वारा भू-अभिलेख में अपने पिता/पति का नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी में अपने नाम का विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किया जा चुका है एवं आगे भी किसी अन्य को हस्तांतरित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी एवं प्रार्थीया को सुगम न्याय निर्णयन में अहितकारी विलंब एवं जटिलता का सामना करना पडेगा। गैरसायल द्वारा सायल के हस्तगत प्रार्थना-पत्र में वर्णनानुसार अपने हक-अधिकार की आराजी का किसी अन्य को हस्तांतरण करने से उसे अधिक असुविधा होगी। इस प्रकार यदि सायल के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो सायल को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक **गैरसायलान** को सायल के हक-हिस्से की वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने तथा वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र सायल अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **गैरसायलान** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा हुनावास कलां पटवार हल्का गरनिया तहसील जैतारण में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 38 रकबा 1.6592 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)